भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3435
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

कानूनी सहायता और न्याय तक पहुंच

3435. श्री देवुसिंह चौहान :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) को जारी की गई निधियों की राज्य-वार उपयोग दर क्या है और इनके अल्प उपयोग, यदि कोई हों, के क्या कारण हैं ;

(ख) जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) द्वारा कितने विधिक सहायता आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है और ऐसी अस्वीकृतियों के क्या आधार हैं ; और

(ग) विधिक सहायता के मामलों के निपटान में नियमित मुकदमेबाजी की तुलना में औसतन कितना समय लगता है ;

(घ) इस योजना के अंतर्गत पैनल में शामिल विधिक सहायता परामर्शदाता की गुणवत्ता और प्रभावकारिता की आंतरिक समीक्षा, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा विभिन्न विधिक सहायता योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (सालसा) को आवंटित निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण उपाबंध–क में दिया गया है। कुछ सालसा द्वारा निधियों के कम उपयोग का कारण लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), ट्रेजरी सिंगल अकाउंट

(टीएसए) तथा हाइब्रिड मॉडल की शुरुआत से उत्पन्न प्रशासनिक एवं परिचालन संबंधी चुनौतियाँ थीं, जिनके कारण संदायों की प्रक्रिया प्रभावित हुई।

(ख) : विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन विधिक सहायता हेतु प्राप्त आवेदनों की जाँच संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 12 में निर्दिष्ट व्यक्तियों को विधिक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डालसा) द्वारा अस्वीकृत विधिक सहायता आवेदनों की संख्या संबंधी आँकड़े नालसा द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ग) : न्यायालयों में मामलों का निपटारा अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालयी कर्मचारी एवं भौतिक अवसंरचना, मामलों में अन्तर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, संबंधित पक्षकारों जैसे अधिवक्ता, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और वादकारियों का सहयोग, तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं का समुचित अनुप्रयोग शामिल है।

(घ) : विधिक सहायता प्रतिरक्षा परामर्शी योजना (संशोधित योजना), 2022 मॉनिटरिंग और मूल्यांकन समितियों (एमएमसीएस) के माध्यम से, विधिक सहायता प्रतिरक्षा परामर्शी के प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए सुदृढ़ ढांचा प्रदान करती है।

उपाबंध-क

विधिक सहायता और न्याय तक पहुंच से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न 3435, जिसका उत्तर तारीख 07.08.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (सालसा) को आबंटित किए गए अनुदान- विधिक सहायता प्रतिरक्षा परामर्शी प्रणाली (एलएडीसीएस) योजना कोड- 4287

क्र. सं.	सालसा का नाम	आबंटित राशि	उपयोग की गई राशि	उपयोगता दर (% में)
1	आंध्र प्रदेश सालसा	5,12,57,000	3,29,71,896	64.33
2	अरुणाचल प्रदेश सालसा	2,12,85,000	2,09,76,500	98.55
3	असम सालसा	23,46,23,000	22,38,96,791	95.43
4	बिहार सालसा	10,56,64,000	9,59,22,898	90.78
5	छत्तीसगढ़ सालसा	10,00,00,000	9,48,19,729	94.82
6	गोवा सालसा	1,36,89,000	1,02,13,951	74.61
7	गुजरात सालसा	15,07,62,000	14,34,53,855	95.15
8	हरियाणा सालसा	6,78,63,000	6,59,50,045	97.18
9	हिमाचल प्रदेश सालसा	3,60,50,000	3,52,66,382	97.83
10	जम्मू और कश्मीर सालसा	8,15,00,000	7,54,68,755	92.60
11	झारखंड सालसा	9,75,00,000	9,15,48,497	93.90
12	कर्नाटक सालसा	16,37,84,000	12,89,78,863	78.75
13	केरल सालसा	6,99,00,000	6,47,88,820	92.69
14	मध्य प्रदेश सालसा	15,44,76,000	14,25,39,896	92.27
15	महाराष्ट्र सालसा	20,09,27,000	18,10,16,962	90.09
16	मणिपुर सालसा	2,08,72,000	2,08,72,000	100.00
17	मेघालय सालसा	5,68,10,000	5,61,80,933	98.89
18	मिजोरम सालसा	3,60,87,000	2,98,13,150	82.61
19	नागालैंड सालसा	1,98,20,000	1,98,20,000	100.00
20	ओडिशा सालसा	5,75,00,000	5,47,42,769	95.20
21	पंजाब सालसा	11,04,49,000	10,53,57,356	95.39
22	राजस्थान सालसा	13,27,22,000	12,33,86,928	92.97
23	सिक्किम सालसा	1,14,80,000	1,13,91,020	99.22
24	तमिलनाडु सालसा	19,10,00,000	17,30,54,424	90.60
25	तेलंगाना सालसा	11,80,00,000	11,44,28,557	96.97
26	त्रिपुरा सालसा	4,99,73,000	4,84,38,627	96.93
27	उत्तर प्रदेश सालसा	16,50,00,000	14,56,90,458	88.30
28	उत्तराखंड सालसा	3,23,00,000	2,85,16,709	88.29
29	पश्चिम बंगाल सालसा	4,35,72,000	4,18,35,976	96.02
30	अंडमान और निकोबार सालसा	5,00,000	5,00,000	100.00
31	चंडीगढ़ सालसा	60,00,000	59,38,413	98.97
32	दादरा और नगर हवेली सालसा	7,38,000	7,22,013	97.83
33	दमन और दीव सालसा	10,20,000	10,20,000	100.00
34	दिल्ली सालसा	6,50,00,000	6,26,78,393	96.43
35	पुडुचेरी सालसा	41,15,000	38,85,439	94.42
36	लद्दाख सालसा	22,00,000	21,88,320	99.47
कुल		**267,44,38,000**	**245,82,75,325**	**91.92**

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान योजना कोड- 2298 के अधीन राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि से विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को आबंटित किए गए अनुदान।

क्रं. सं.	सालसा का नाम	आबंटित राशि	उपयोग की गई राशि	उपयोगता दर (% में)
1	आंध्र प्रदेश सालसा	3,35,00,000	3,34,93,163	99.98
2	अरुणाचल प्रदेश सालसा	8,30,00,000	8,30,00,000	100.00
3	असम सालसा	4,10,00,000	4,09,57,375	99.90
4	बिहार सालसा	7,75,00,000	7,75,00,000	100.00
5	छत्तीसगढ़ सालसा	80,00,000	76,91,691	96.15
6	गोवा सालसा	81,00,000	76,48,003	94.42
7	गुजरात सालसा	19,05,00,000	19,05,00,000	100.00
8	हरियाणा सालसा	7,15,00,000	7,13,94,488	99.85
9	हिमाचल प्रदेश सालसा	2,75,00,000	2,75,00,000	100.00
10	जम्मू और कश्मीर सालसा	7,40,00,000	7,39,99,286	100.00
11	झारखंड सालसा	13,25,00,000	13,25,00,000	100.00
12	कर्नाटक सालसा	9,30,00,000	9,30,00,000	100.00
13	केरल सालसा	13,20,00,000	13,20,00,000	100.00
14	मध्य प्रदेश सालसा	1,00,00,000	99,50,000	99.50
15	महाराष्ट्र सालसा	3,50,00,000	3,50,00,000	100.00
16	मणिपुर सालसा	6,70,00,000	6,70,00,000	100.00
17	मेघालय सालसा	4,07,00,000	4,07,00,000	100.00
18	मिजोरम सालसा	7,90,00,000	7,90,00,000	100.00
19	नागालैंड सालसा	3,80,00,000	3,79,90,000	99.97
20	ओडिशा सालसा	4,40,00,000	4,40,00,000	100.00
21	पंजाब सालसा	10,25,00,000	10,25,00,000	100.00
22	राजस्थान सालसा	8,75,00,000	8,74,99,934	100.00
23	सिक्किम सालसा	1,25,00,000	1,24,97,047	99.98
24	तमिलनाडु सालसा	1,30,00,000	1,30,00,000	100.00
25	तेलंगाना सालसा	60,00,000	60,00,000	100.00
26	त्रिपुरा सालसा	4,50,00,000	4,48,39,203	99.64
27	उत्तर प्रदेश सालसा	10,35,00,000	10,35,00,000	100.00
28	उत्तराखंड सालसा	10,40,00,000	10,40,00,000	100.00
29	पश्चिम बंगाल सालसा	13,13,00,000	13,13,00,000	100.00
30	अंडमान और निकोबार सालसा	27,00,000	20,21,455	74.87
31	चंडीगढ़ सालसा	21,00,000	21,00,000	100.00
32	दिल्ली सालसा	15,25,00,000	15,25,00,000	100.00
33	पुडुचेरी सालसा	80,00,000	80,00,000	100.00
34	लक्षद्वीप सालसा	20,00,000	19,99,918	100.00
35	लद्दाख सालसा	82,50,000	78,21,332	94.80
36	सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (एससीएलएससी)	3,50,00,000	3,46,17,098	98.91
37	मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी)	60,00,000	53,85,007	89.75
कुल		**210,76,50,000**	**210,44,05,000**	**99.85**
